मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in

क्रमांक/एफ-12/रासूआ/वी.कॉ./2020/ 7245 भोपाल, दिनांक 03/06/2020

प्रति,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ),
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : वीडियो कान्फ्रेन्सिंग एवं व्हाट्स ऐप वीडियो कॉल के माध्यम से आयोग में आगामी सुनवाइयाँ प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

=•=•=

COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों की सुनवाइयाँ सम्बन्धित अपीलार्थियों, लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं अन्य सम्बद्ध पक्षकारों को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में आहूत कर कोरोना संक्रमण के संकट के चलते की जाना सम्भव नहीं हैं। आयोग में यद्यपि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था है, परन्तु एन.आई.सी. के भोपाल सेन्टर द्वारा आयोग को एक माह में केवल दो दिनांकों में सीमित समय के स्लॉट ही दिये गए हैं, जबकि सुनवाई हेतु प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है। अतः वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोग में दर्ज प्रदेश के सभी जिलों से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई की जाना सम्भव नहीं है। परन्तु वीडियो कान्फ्रेन्सिंग विभिन्न ऐप (App) के माध्यम से की जा सकती है, जिसके लिये आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होगी।

वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति स्मार्ट फोन एवं उस पर उपलब्ध व्हाट्स ऐप वीडियो कॉल सुविधा का उपयोग करते हैं। अतः माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस समय विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के संकट से सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों की सुनवाइयाँ व्हाट्स ऐप वीडियो कॉल (Whats app Video Call) के माध्यम से की जाएँ। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के व्हाट्स ऐप नम्बर की आयोग को आवश्यकता होगी। इस परिप्रेक्ष्य में मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया मध्यप्रदेश के मंत्रालय, समस्त विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों एवं जिला कलेक्टरों को शासन स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें, कि समस्त शासकीय कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने व्हाट्स ऐप नम्बर मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग से अतिशीघ्र साझा करें।

(मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार)

(पराग करकरे)
अवर सचिव
म.प्र. राज्य सूचना आयोग
भोपाल